मुल्तानाराम बनाम सुनील गोदारा
UCMS NO - 2020/00229 नम्बर 56/2020

10-2-21	अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही तरड़ों की बस्ती तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 1833/210 तादादी 1.8800 हेक्टर, खसरा नम्बर 210 तादादी 20.9400 हेक्टर, खसरा नम्बर 217 तादादी 0.2100 हेक्टर, खसरा नम्बर 218 तादादी 16.76 हेक्टर, खसरा नम्बर 219 तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 229 तादादी 0.83 हेक्टर कुल तादादी 4.63 हेक्टर भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 34 की संयुक्त खाते की भूमि है। उक्त भूमि सभी पक्षकार अपने-अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करते हुए अपीलांट के हितों पर कुठाराधात किया गया है। चूंकि अपीलांट वादग्रस्त भूमि का बोनाफाईड परचेजर है। ऐसीस्थिति में अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना उसे अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से उसके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रकरण में अपीलांट खरीद की दिनांक से वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड संयुक्त खातेदार है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व उसे सुने बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा उसके धारण की भूमि पर ट्यूबवैल हेतु विद्युत कनेक्शन स्थापित किया जाना है तथा कानूनन रूप से यदि वादग्रस्त भूमि पर ट्यूबवैल पर विद्युत कनेक्शन स्थापित कर भी दिया जाता है तो इससे किसी पक्षकार को नुकसान नहीं होना है वरन् वादग्रस्त भूमि और अधिक उपजाऊ ही होगी। ऐसीस्थिति में यदि अपीलाधीन आदेश की कियान्विती स्थगित नहीं की गई व दौराने अपील रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो गये तो अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। जिसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट को कारित होगी। चूंकि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के संयुक्त रूप से रिकार्डेड खातेदार है। लिहाजा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र वादग्रस्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन स्थापित करने की हद तक स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश में उपरोक्तानुसार संशोधन के आदेश प्रदान किये जावे।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.12 10:54:04 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2011 पार्ट I पेज 152, आरबीजे 2016 पेज 245, आरएलडब्ल्यू 2006 पार्ट I पेज 71, आरबीजे 2014 पार्ट II पेज 313 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि एक सुयक्त खातेदारी पैतृक भूमि है। इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है तथा सभी पक्षकार अपने-अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का स्ट्रेन्जर परचेजर है। जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जब तक संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी अजनबी केता को वादग्रस्त भूमि पर प्रवेश का अधिकार नहीं है। यदि वादग्रस्त भूमि के विभाजन से पूर्व किसी हिस्सा विशेष पर ट्यूबवैल का निर्माण किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य सामने आने पर व वादग्रस्त भूमि पर सह खातेदारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु आगामी दिनांक तक के लिए आदेश पारित किये गये है। यदि अपीलांट उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित भी है तो प्रकरण में नियत आगामी दिनांक को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आकर अपना मत व्यक्त कर सकते थे, परन्तु अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने के उपरान्त उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अन्य सहखातेदारों द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में एक आदेश के विरूद्व दो न्यायालयों में चाराजोई नहीं कर सकते है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश एक अंतरिम आदेश की परिभाषा में आता है। कानूनन अंतरिम आदेश की अपील के प्रावधान निहित नहीं है। वादग्रस्त भूमि एक संयुक्त पैतृक भूमि होने से रेस्पोडेन्ट्स के अधिकार उक्त भूमि में निहित है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित है। लिहाजा अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satya
Date: 2021.03.12 10:54:04 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2014 पेज 204, आरबीजे 2015 पेज 719, आरबीजे 2018 पेज 706, आएलडब्ल्यू 2004 पेज 541, आरएलडब्ल्यू 2005 पेज 83 व आरएलडब्ल्यू 2007 पार्ट I पेज 22 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19–06–2020 को जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष जैरकार 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम करने के आदेश प्रदान करते हुए प्रकरण में आगामी दिनांक 16–07–2020 अभिनिर्धारित करते हुए अप्रार्थीगणों को असालतन या वकालतन आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में अन्य सहखातेदार अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते हुए जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के बजाय न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त एकतरफा अंतरिम आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए विद्युत कनेक्शन स्थापित करने की हद तक अपीलाधीन आदेश में संशोधन की मांग की गई है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एक अंतिरम श्रेणी का आदेश है। जिस पर पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर अपना विस्तृत निर्णय किया जाना शेष है। लिहाजा प्रस्तुत अपील में गुणावगुण पर किसी प्रकार का विवेचन किये बिना अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी नियत दिनांक को उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करें। अपीलांट प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.12 10:54:04 IST
Reason: SelfAttested

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर